लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना

(पी.एम. कुसुम-बी)

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

भोपाल (म.प्र.)

मध्य प्रदेश शासन उपक्रम

आवेदन विवरण अपडेट करें

लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

योजना के बारे में:

इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/ संयोजित नहीं है।

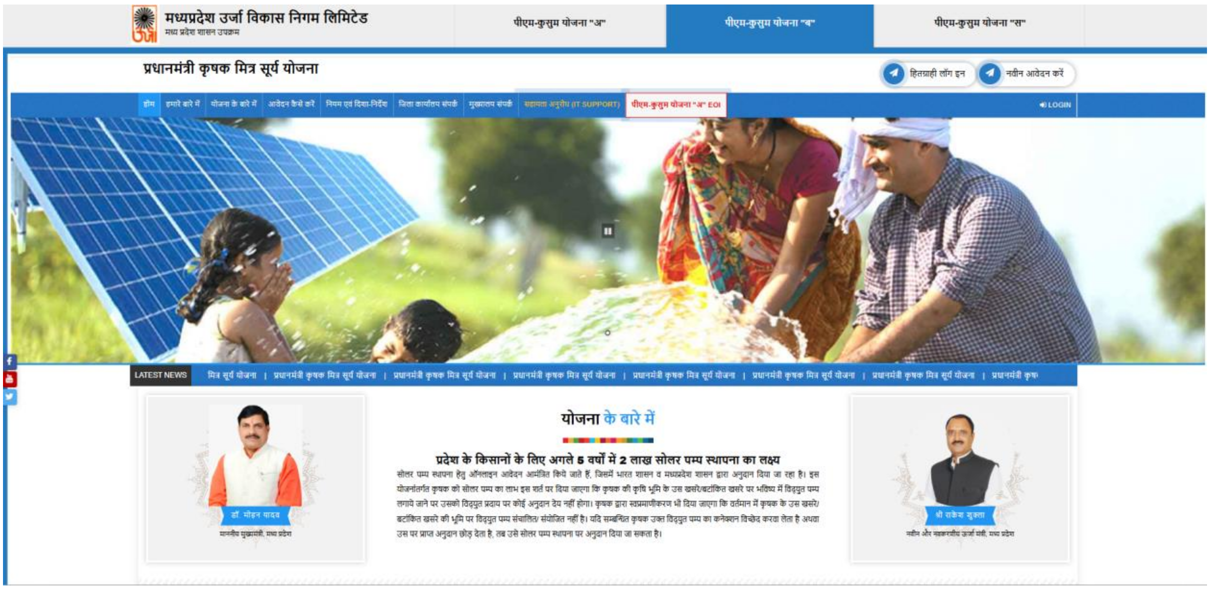

🧑‍🌾 पूर्व पंजीकृत आवेदक

जो किसान पहले से ही **"प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना"** के अंतर्गत पंजीयन कर आवेदन कर चुके हैं, वे अपने आवेदन की जानकारी को अपडेट या संशोधित करने के लिए "किसान लॉगिन" विकल्प का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।

🔐 किसान लॉगिन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सोलर पंप - प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान अपनी आवेदन जानकारी को देखने या अपडेट करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

लॉगिन करने की प्रक्रिया:

1. अपनी पंजीकृत मोबाइल संख्या दर्ज करें।
2. "ओटीपी भेजें" बटन पर क्लिक करें।
3. आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा।
4. प्राप्त ओटीपी को दिए गए स्थान पर दर्ज करें और "सत्यापित करें" बटन पर क्लिक करें।

लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

5. यदि ओटीपी गलत है या 60 सेकंड के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो आप उसे फिर से भेज सकते हैं।

6. यदि आपका नंबर पोर्टल पर पंजीकृत है, तो आपको सीधे अपने डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा।

7. यदि आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, तो पोर्टल आपको आवश्यक जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित करेगा।

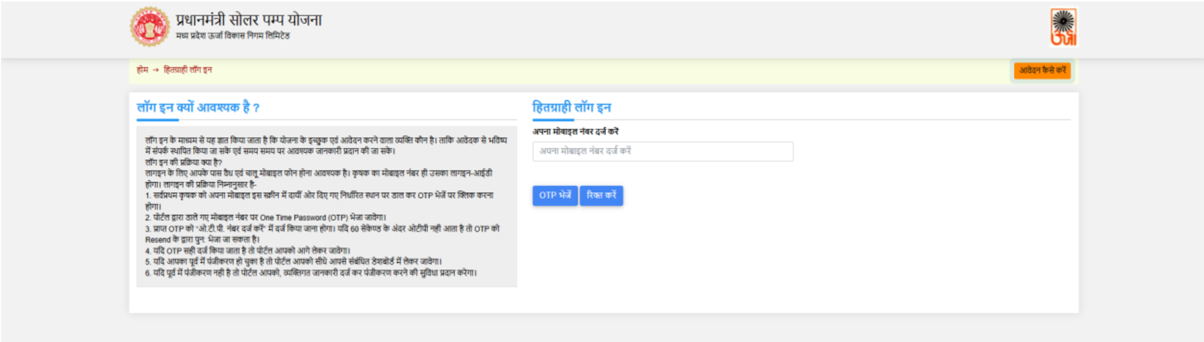

✅ लॉगिन पुष्टिकरण

एक बार ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाने पर, प्रणाली एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित करेगी जो यह दर्शाएगा कि उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुका है।

- यदि ओटीपी सत्यापित हो जाता है, तो एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा:

  ✅ **"आपका पुनः स्वागत है"**

  ➤ आगे बढ़ने के लिए **"ओके"** बटन पर क्लिक करें।

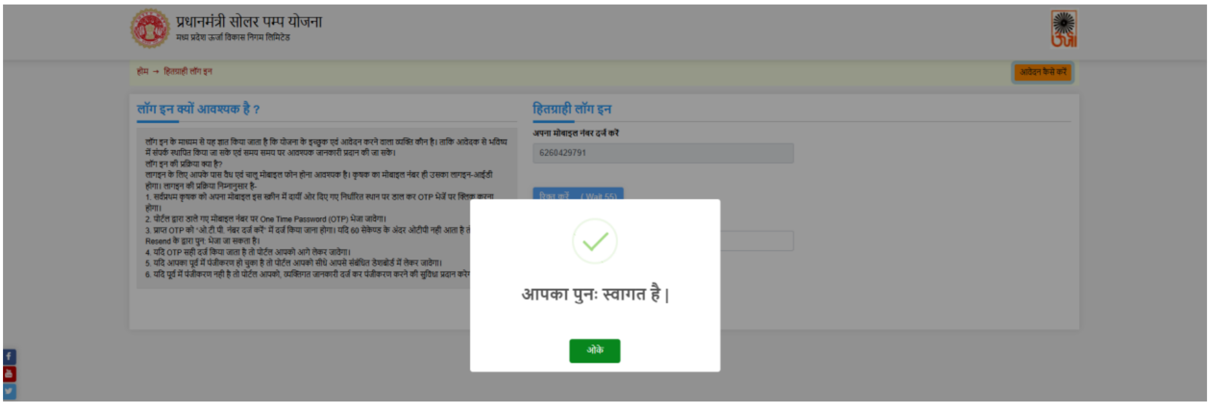

✅ आधार ई-केवाईसी अपडेट प्रक्रिया

आवेदक डैशबोर्ड (Applicant Dashboard) पर पहुँचने के बाद, **"UPDATE AADHAAR EKYC"** बटन पर क्लिक करें।

✅ चरण:

- हितग्राही आधार ई-केवाईसी जानकारी पृष्ठ पर आएगा।

लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

- बाईं ओर दी गई आधार आधारित ई-केवाईसी की जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- दस्तावेज़ प्रकार चुनें – **आधार संख्या** या **वर्चुअल आईडी**।
- चुनी गई आधार संख्या/वर्चुअल आईडी को दिए गए इनपुट बॉक्स में दर्ज करें।
- **ई-केवाईसी का विकल्प** चुनें (जैसे ओटीपी)।
- सभी घोषणाओं को पढ़ें और सभी चेकबॉक्स को टिक करें।
- आगे बढ़ने के लिए **"Send OTP"** बटन पर क्लिक करें।
- ओटीपी सत्यापन पूरा होने पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

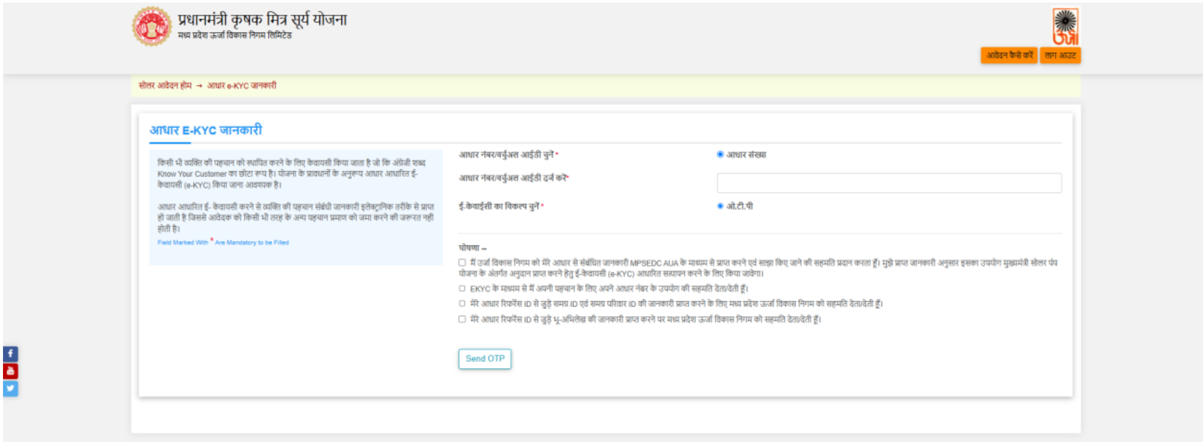

- आगे बढ़ने के लिए **"Send OTP"** बटन पर क्लिक करें।

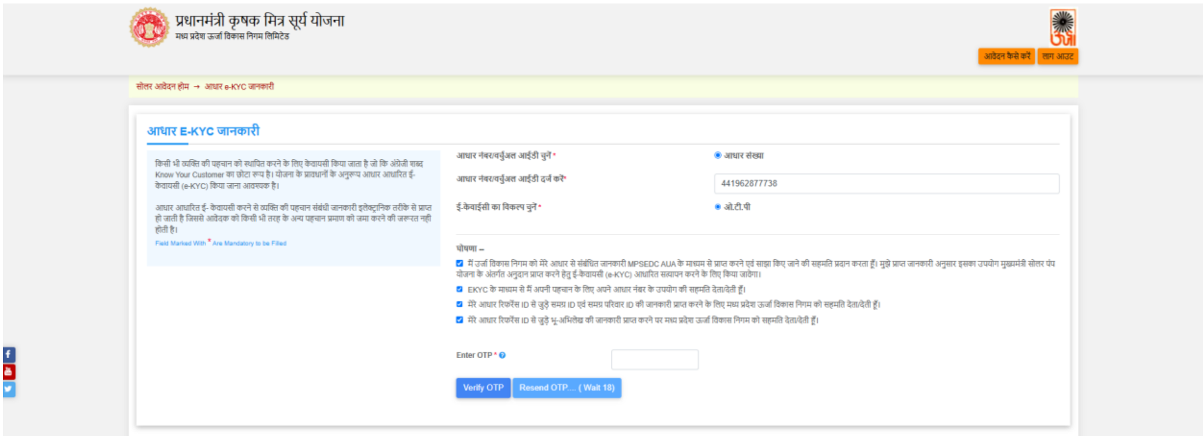

- ओटीपी सत्यापन पूरा होने पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

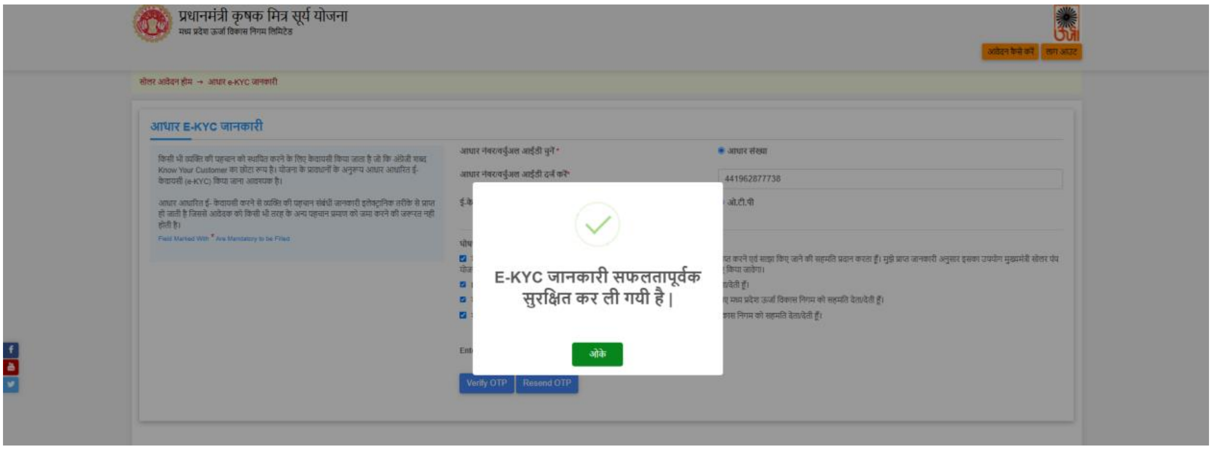

- सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद **आवेदक डैशबोर्ड** प्रदर्शित होगा।
- डैशबोर्ड में निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होते हैं:
- **आवेदन में सुधार करें**: इस बटन पर क्लिक करके आप अपने आवेदन में सुधार या अद्यतन कर सकते हैं।
- **PM सोलर पंप ऑनलाइन आवेदन**: इस विकल्प के माध्यम से आप आवेदन का पूर्वावलोकन (Preview) देख सकते हैं।
- **आवेदन की स्थिति**: इस बटन पर क्लिक कर आप अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं।

आवेदन की जानकारी में सुधार करें:

1. सिस्टम ई-केवाईसी से प्राप्त जानकारी के आधार पर ई-केवाईसी से प्राप्त जानकारी प्रदर्शित करेगा।
2. पूर्व में दर्ज की गई जानकारी जैसे नाम, पिता /पति का नाम का नाम, लिंग, जिला, तहसील, गाँव, मोबाइल नंबर, जाति, लोकसभा, विधानसभा आदि की जानकारी प्रदर्शित करेगा।

लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

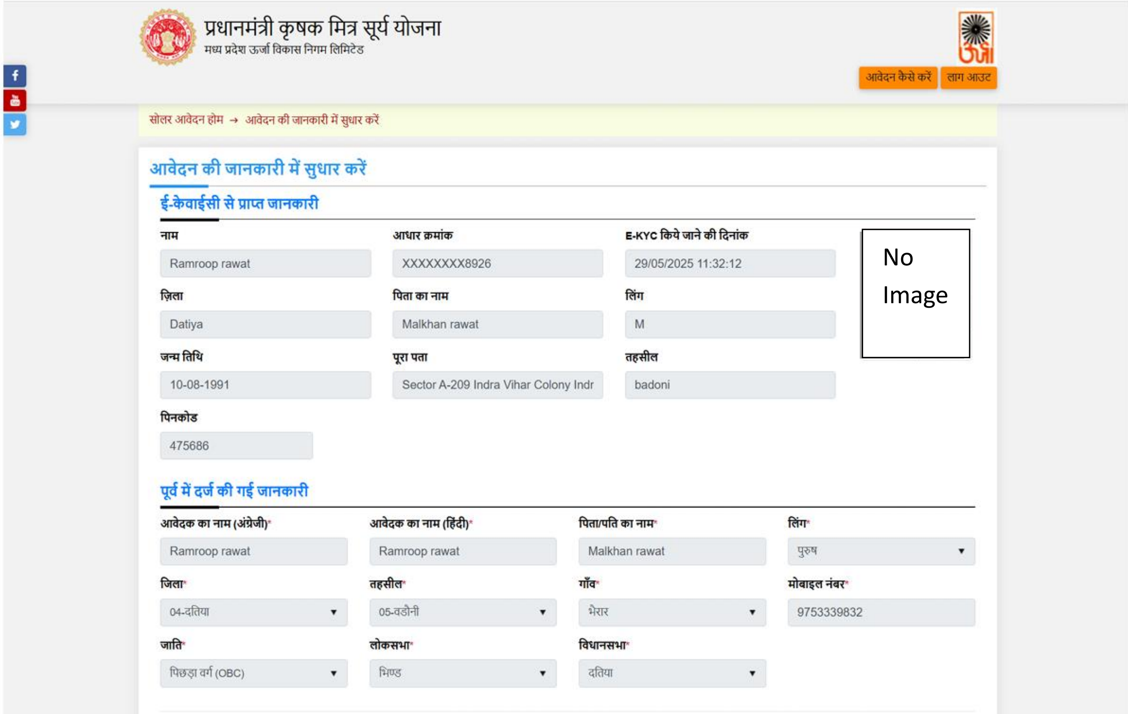

3. **बैंक जानकारी भरना :** प्रायः भरी हुई बैंक संबंधी जानकारी प्रदर्शित होगी और हितग्राही इस जानकारी को अपडेट कर सकेगा।

- **बैंक खाताधारक का नाम**: अपना पूरा नाम जैसे कि बैंक पासबुक में दिया गया हो।
- **बैंक खाता संख्या**: बैंक द्वारा प्रदान की गई आपकी वैध खाता संख्या दर्ज करें।
- **बैंक IFSC कोड**: अपनी बैंक शाखा का सही IFSC कोड भरें।
- **बैंक का नाम**: ड्रॉपडाउन से बैंक का नाम चुनें।
- **बैंक शाखा का नाम**: ड्रॉपडाउन से अपनी बैंक शाखा का चयन करें।

4. **खसरा जानकारी:**

पंजीकरण के समय चयनित खसरा के आधार पर खसरा जानकारी स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। साथ ही, खसरा से लिंक्ड जानकारी भी ग्रिड में प्रदर्शित होगी।

नोट: आपका पूर्व में चयनित खसरा वर्तमान में प्रदर्शित हो रहा है। यदि आप खसरा का चयन बदलना चाहते हैं या नया खसरा जोड़ना चाहते हैं, तो आप इसे परिवर्तित या जोड़ सकते हैं |

महत्वपूर्ण सूचना (आधार-खसरा लिंकिंग संबंधी):

लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

यदि हितग्राही द्वारा चयनित खसरा आधार से लिंक नहीं होगा, तो पोर्टल पर एक पॉपअप प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्न संदेश दिखाई देगा:

"कृपया योजना का लाभ लेने के लिए आपके द्वारा सोलर पंप हेतु चयनित खसरे को अपने आधार से लिंक करें।"

इस स्थिति में हितग्राही को पहले खसरा को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा।

जब तक लिंकिंग नहीं की जाती, **आवेदन प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा** और **आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकेगा।**

खसरा की जानकारी भरने के लिए चरण (Steps to Fill Khasra Details):

- **जिला, तहसील और गाँव का चयन करें**
  - ड्रॉपडाउन से अपना **जिला**, **तहसील**, और **गाँव** चुनें।
- **खसरा क्रमांक / वन क्षेत्र अधिकार पट्टा / शासकीय पट्टा चयन करें**
  - विकल्प से **"खसरा क्रमांक चुनें"** को चयनित करें।
- **खसरा नंबर दर्ज करें**
  - संबंधित खसरा नंबर का चयन करें ।
- **आधार से लिंक खसरा रिकॉर्ड की सूची प्रदर्शित होगी**
  - नीचे की टेबल में संबंधित आधार से जुड़े खसरा रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे जिनमें शामिल होंगे:
    - खसरा नंबर
    - मालिक का नाम
    - पिता का नाम
    - गाँव का नाम
    - तहसील
    - खसरा क्षेत्र
    - भूमि का प्रकार, आदि।
- **एक से अधिक खसरा का चयन करें**
  - आप एक से अधिक खसरा नंबर का चयन कर सकते हैं।
  - चयनित खसरों को टिक बॉक्स के माध्यम से चुना जा सकता है।
- **कुल खसरा क्षेत्र स्वतः प्रदर्शित होगा**
  - चयन किए गए खसरा रिकॉर्ड के अनुसार **"कुल खसरा क्षेत्र"** फील्ड में भूमि का कुल क्षेत्रफल स्वतः भर जाएगा ।
- **सिंचाई हेतु प्रस्तावित रकबा भूमि भरें**
  - उपयोगकर्ता को **"सिंचाई हेतु प्रस्तावित रकबा भूमि"** दर्ज करना होगा।

लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

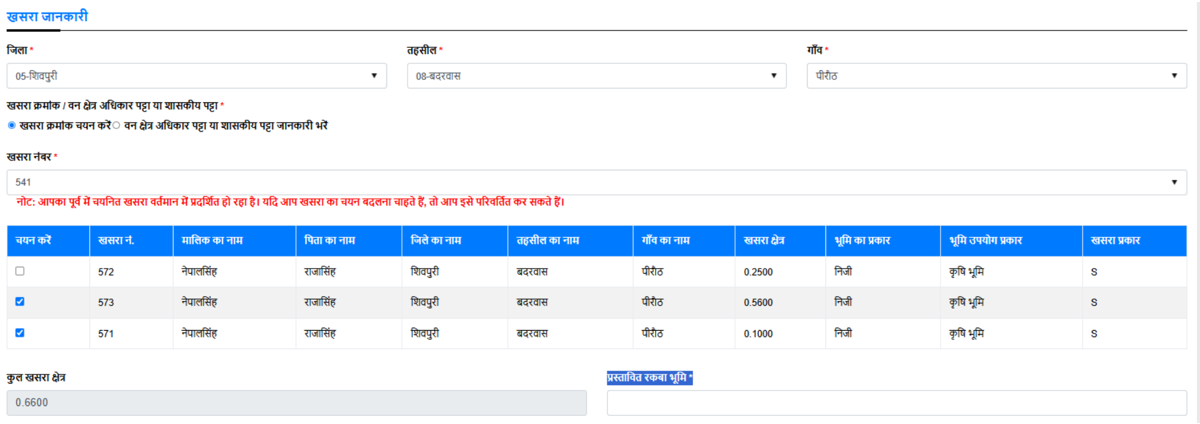

चयन करें	खसरा नं.	मालिक का नाम	पिता का नाम	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा क्षेत्र	भूमि का प्रकार	भूमि उपयोग प्रकार	खसरा प्रकार
☐	572	नेपालसिंह	राजासिंह	शिवपुरी	बदरवास	पीरौठ	0.2500	निजी	कृषि भूमि	S
☑	573	नेपालसिंह	राजासिंह	शिवपुरी	बदरवास	पीरौठ	0.5600	निजी	कृषि भूमि	S
☑	571	नेपालसिंह	राजासिंह	शिवपुरी	बदरवास	पीरौठ	0.1000	निजी	कृषि भूमि	S

5. **मध्य प्रदेश में कुल भूमि की जानकारी दर्ज करना:**

   हितग्राही को ड्रॉपडाउन से **"हितग्राही के नाम पर मध्य प्रदेश में कुल भूमि"** का चयन करना होगा।

   इसके पश्चात, संबंधित क्षेत्र का **"मध्य प्रदेश में कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)"** दर्ज करना अनिवार्य होगा।

6. **विद्युत कनेक्शन की जानकारी भरने की प्रक्रिया:**

   - **उक्त चयनित खसरे पर विद्युत कनेक्शन की स्थिति का चयन करें:**

     उपयोगकर्ता को ड्रॉपडाउन मेनू से "**विद्युत कनेक्शन का प्रकार**" चुनना होगा। विकल्प निम्नलिखित होंगे:

     - स्थायी कनेक्शन
     - अस्थायी कनेक्शन
     - अविद्युतिकृत

   - **विद्युत कनेक्शन नंबर दर्ज करें:**

     चयन के पश्चात, उपयोगकर्ता को "**विद्युत कनेक्शन नंबर**" दर्ज करना होगा।

   - **Validate बटन पर क्लिक करें:**

     विद्युत कनेक्शन नंबर दर्ज करने के बाद, *"**Validate**"* बटन पर क्लिक करें ताकि कनेक्शन की जानकारी सत्यापित की जा सके।

   - **महत्वपूर्ण सूचना:**

     योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा जिनका कनेक्शन वर्ष 2023-2024 या 2024-2025 में हुआ हो।

     अतः केवल इन वर्षों के कनेक्शन विवरण ही मान्य माने जाएंगे।

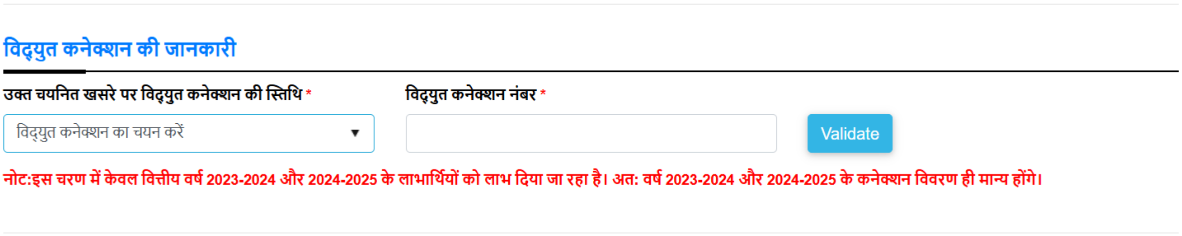

7. सोलर पंप आवेदन जानकारी भरने की प्रक्रिया:

- **कंट्रोलर प्रकार का चयन करें:**
  - ड्रॉपडाउन सूची से उपयुक्त "**कंट्रोलर प्रकार**" का चयन करें {जैसे: सामान्य (बिना USPC के), USPC के साथ}
- **सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार चुनें:**
  - ड्रॉपडाउन सूची से उपयुक्त "**सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार**" का चयन करें
- **जल स्रोत का चयन करें जिस पर सोलर पंप लगाना है**
  - उस स्रोत का चयन करें जहाँ सोलर पंप लगाया जाएगा, जैसे – भूजल, सतही जल आदि।
- **जल स्रोत का प्रकार चुनें**
  - ड्रॉपडाउन से जल स्रोत का विशिष्ट प्रकार चुनें जैसे – बोरेवेल – 8 इंच, बोरेवेल – 4 इंच, बोरेवेल – 6 इंच, बोरेवेल – 12 इंच, कुआँ ।
- **माइक्रो इरीगेशन का विकल्प चुनें**
  - रेडियो बटन में से "हाँ" या "नहीं" चुनें, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसान माइक्रो इरीगेशन प्रणाली का उपयोग करना चाहता है या नहीं।
- **भूमिगत जल की गहराई दर्ज करें (फीट में)**
  - जिस स्तर पर भूमिगत जल प्राप्त हो रहा है, उसकी गहराई (feet में) दर्ज करें।
- **बोरेवेल की गहराई दर्ज करें (फीट में)**
  - किसान के खेत में बोरेवेल की कुल गहराई (feet में) दर्ज करें।
- **दैनिक पानी की आवश्यकता दर्ज करें (लीटर में)**
  - किसान की खेती की आवश्यकतानुसार *प्रति दिन पानी की जरूरत (लीटर में)* भरें। जैसे – 25000 लीटर।
- **जलस्रोत से पैनल की अनुमानित दूरी (फीट में) दर्ज करें**
  - जल स्रोत से सोलर पैनल की अनुमानित दूरी फीट में दर्ज करें।

8. घोषणा (Declaration)

सभी आवेदकों के लिए सामान्य:

सोलर पंप की सभी प्रक्रियाएं एवं स्थापना कार्य योजना के दिशा-निर्देशों एवं पात्रता मानदंडों पर आधारित हैं। यदि आवेदन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि आवेदक योजना के अनुसार पात्र नहीं है, तो सोलर पंप की स्थापना नहीं की जाएगी और इस संबंध में MPUVNL के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

बिजली कनेक्शन विहीन आवेदनों हेतु (Unconnected Applications):

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा सोलर पंप हेतु चयनित खसरा पर कोई स्थायी या अस्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं है।

नोट: उपरोक्त घोषणा आवेदक द्वारा स्वीकार की जाएगी, तभी आवेदन विवरण जमा कर अगली प्रक्रिया में आगे बढ़ा जा सकेगा।

9. आवेदन सबमिशन की प्रक्रिया

- **सभी आवश्यक विवरण भरने के पश्चात**, जब लाभार्थी "Submit" बटन पर क्लिक करता है, तो एक पुष्टिकरण (Confirmation) संदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है।
- यह संदेश दर्शाता है कि आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है:

"आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है।"

- इस पुष्टिकरण संदेश के साथ एक **हरे रंग का चेकमार्क** दिखाई देता है, जो यह संकेत देता है कि प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
- लाभार्थी को आगे बढ़ने के लिए नीचे दिए गए **"ओके" (OK)** बटन पर क्लिक करना होगा।
- "ओके" पर क्लिक करते ही उपयोगकर्ता पोर्टल के अगले निर्देशित पृष्ठ पर पहुंच जाएगा या डैशबोर्ड पर वापस लौट आएगा (जैसा कि प्रणाली में सेट किया गया हो)।

10. जानकारी एक नज़र में:

आवेदन सबमिट करने के पश्चात्, आवेदनकर्ता की पूरी जानकारी एक समेकित फॉर्मेट में "जानकारी एक नज़र में" सेक्शन में दिखाई देती है। इस स्क्रीन में निम्न जानकारियाँ शामिल होती हैं:

- **आधार ई-केवाईसी जानकारी**: आधार आधारित पहचान विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, ई-केवाईसी संख्या, पते की जानकारी और फोटो ।
- **बैंक अकाउंट की जानकारी**: बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, खाता धारक का नाम।
- **समग्र सत्यापन की जानकारी**: समग्र परिवार क्रमांक, समग्र क्रमांक और समग्र स्वघोषणा दिनांक
- **जाति सत्यापन की जानकारी**: आवेदक की जाति श्रेणी (जैसे OBC, SC आदि)।
- **सोलर पंप जानकारी**: जमीन की जानकारी, आवश्यक पंप क्षमता, आवेदन का प्रकार (Temporary/Permanent), डिस्कॉम विवरण, चयनित वेंडर, सब्सिडी राशि इत्यादि।

लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

पंजीकरण शुल्क भुगतान (₹5000) प्रक्रिया

यदि आवेदनकर्ता की ₹5000 की पंजीकरण राशि लंबित है, तो स्क्रीन के निचले भाग में यह सूचना स्पष्ट रूप से दी जाती है:

🔶 **"आवेदन पंजीकरण राशि जमा करने के लिए भुगतान करें"** बटन दिखाई देगा।

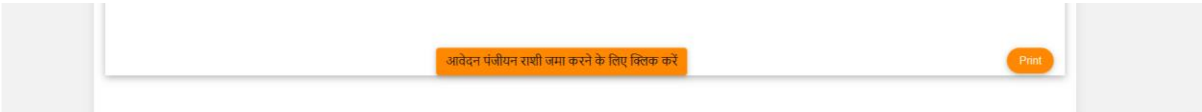

भुगतान प्रक्रिया:

1. **'भुगतान करें'** बटन पर क्लिक करें।
2. आवेदक को भुगतान गेटवे पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
3. वहाँ से ₹5000 की राशि डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से जमा की जा सकती है।
4. भुगतान सफल होने के बाद रसीद जेनरेट होती है और आवेदन की स्थिति 'भुगतान पूर्ण' हो जाती है।

महत्वपूर्ण निर्देश

- सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियाँ सही ढंग से भरी गई हों क्योंकि जानकारी दर्ज करने के बाद संशोधन संभव नहीं होगा।
- यदि नाम में त्रुटि हो अथवा समग्र/डिस्कॉम/आधार में अंतर हो, तो 'मिसमैच' कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन scrutiny हेतु MPUVNL को भेजा जाएगा।
- ₹5000 का यह शुल्क आवेदन की स्वीकृति हेतु आवश्यक है, बिना इसके LOA (Letter of Award) जारी नहीं होगा।

11. आवेदन पूर्वावलोकन (Preview) पृष्ठ – उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

विवरण:

लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

जब हितग्राही द्वारा सभी आवश्यक विवरण सफलतापूर्वक दर्ज कर दिए जाते हैं, तब "आवेदन पूर्वावलोकन" पृष्ठ प्रदर्शित होता है। इस पृष्ठ पर हितग्राही द्वारा भरे गए संपूर्ण विवरण एक स्थान पर देखने को मिलते हैं।

मुख्य बिंदु:

1. **पूर्वावलोकन पृष्ठ पर क्या दिखाई देता है:**
   - ई-केवाईसी विवरण
   - समग्र जानकारी
   - बैंक खाता जानकारी
   - समय सत्यापन विवरण
   - जाति प्रमाण पत्र विवरण
   - खसरा जानकारी
   - सोलर पंप विवरण
   - चुने गए सोलर पंप की जानकारी

   फीस भुगतान की स्थिति:
   - यदि **आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है**, तो पूर्वावलोकन पृष्ठ पर हितग्राही को ₹5000 का **शुरुआती पंजीयन शुल्क** भुगतान करने का विकल्प मिलेगा।
   - हितग्राही "आवेदन शुल्क भुगतान करने हेतु क्लिक करें" बटन पर क्लिक कर भुगतान कर सकता है।
2. **यदि भुगतान पहले ही किया जा चुका है:**
   - हितग्राही को केवल **आवेदन का प्रिंट** निकालने की सुविधा मिलेगी।
   - किसी भी जानकारी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
3. **नोट:**
   - एक बार आवेदन शुल्क जमा हो जाने के बाद, किसी भी प्रकार का संपादन संभव नहीं होगा।
   - कृपया भुगतान से पहले सभी जानकारी सावधानीपूर्वक जाँच लें।

लाभार्थी लॉगिन का उपयोगकर्ता मैनुअल

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना
मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

आवेदन कैसे करें | लाग आउट

सोलर आवेदन होम → जानकारी एक नजर में

आपके द्वारा भरी गयी जानकारी निम्नानुसार है। कृपया आगे बढ़ने के पूर्व भरी गयी जानकारी की जाँच कर लेवें एवं आवश्यक होने पर सुधार करें। इस चरण के बाद जानकारी में परिवर्तन मान्य नही होगा।

आवेदन क्रमांक - 202175041

आधार E-KYC जानकारी

E-KYC नाम :	Ankit Thakur	E-KYC आधार क्रमांक :	XXXXXXXX7738
E-KYC किये जाने की दिनांक :	03/06/2025 02.42.54	ज़िला :	नर्मदापुरम
पिता का नाम :	दीपक ठाकुर	लिंग :	M
जन्म तिथि :	15 07 1991	पूरा पता :	Narendra Nagar Near Swami Narayan Mandir
तहसील :	सोहागपुर		

सामान्य जानकारी

आवेदक का नाम (अंग्रेजी) :	NEPAL SINGH	आवेदक का नाम (हिंदी) :	नेपाल सिंह	पिता / पति का नाम :	RAJA SINGH YADAV
जिला :	शिवपुरी	तहसील :	बदरवास	गांव :	बरोदिया
पिन कोड :	473770	मोबाइल नंबर :	7987251806	ईमेल आईडी :	sy0705814@gmail.com
लिंग :	पुरुष				

बैंक अकाउंट की जानकारी

बैंक खाता नाम :	NEPAL SINGH YADAV	बैंक खाता संख्या :	36367231220	बैंक IFSC कोड :	SBIN0030120
बैंक का नाम :	STATE BANK OF INDIA	बैंक शाखा का नाम :	BADARWAS , SHIVPURI , BADARWAS		

समग्र सत्यापन की जानकारी

समग्र क्रमांक :	110144451	समग्र परिवार क्रमांक :	22499333
समग्र स्वघोषणा दिनांक :	Wed Jun 25 2025 11:01:29 GMT+0530 (India Standard Time)		

⚠स्वघोषणा के अनुसार

जाति सत्यापन की जानकारी

जाति :	पिछड़ा वर्ग (OBC)

⚠स्वघोषणा के अनुसार

खसरा जानकारी

खसरा नं	मालिक का नाम	पिता का नाम	जिला	तहसील	गांव	खसरा क्षेत्र	भूमि का प्रकार	भूमि का उपयोग प्रकार	खसरा का प्रकार
570	नेपालसिंह	राजासिंह	शिवपुरी	बदरवास	पीरोठ	0.2500	निजी	कृषि भूमि	S
572	नेपालसिंह	राजासिंह	शिवपुरी	बदरवास	पीरोठ	0.2500	निजी	कृषि भूमि	S
572	नेपालसिंह	राजासिंह	शिवपुरी	बदरवास	पीरोठ	0.2500	निजी	कृषि भूमि	S
571	नेपालसिंह	राजासिंह	शिवपुरी	बदरवास	पीरोठ	0.1000	निजी	कृषि भूमि	S
570	नेपालसिंह	राजासिंह	शिवपुरी	बदरवास	पीरोठ	0.2500	निजी	कृषि भूमि	S
573	नेपालसिंह	राजासिंह	शिवपुरी	बदरवास	पीरोठ	0.5600	निजी	कृषि भूमि	S
573	नेपालसिंह	राजासिंह	शिवपुरी	बदरवास	पीरोठ	0.5600	निजी	कृषि भूमि	S

सोलर पंप जानकारी

खसरा अनुसार कुल रकबा:	0.5600	सिंचाई हेतु प्रस्तावित रकबा भूमि:	0.5600	हितग्राही के नाम पर मध्य प्रदेश में कुल का भूमि:	1 से 3 हेक्टेयर के मध्य
भूमि की जानकारी (हेक्टेयर में):	1.00	उक्त चयनित खसरे पर विद्युत कनेक्शन :	अविद्युतिकृत	विद्युत कनेक्शन का नंबर :	
सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार :	1 एच पी डी सी सबमर्सिबल	नियंत्रक प्रकार	Normal (Without USPC)	सोलर पंपिंग सिस्टम के विक्रेता :	M/s Greenworld Solarwares Pvt Ltd.
माइक्रो इरीगेशन का विकल्प:	हाँ	जल स्रोत जिस पर सोलर पंप लगता है :	भू जल	जल स्रोत का प्रकार :	बोरवेल - 6 इंच
भूमिगत जल की गहराई (फिट में) :	150	बोरवेल की गहराई (फिट में) :	1	दैनिक पानी की आवश्यकता (ली. में) :	5
जलस्रोत से पैनल की दूरी (फिट में) :	40				

डिस्कॉम से प्राप्त सोलर पंप की जानकारी

वित्तीय वर्ष	नाम	उपभोक्ता संख्या	कनेक्शन स्थिति	पंप श्रेणी
	नेपाल सिंह		अविद्युतिकृत	

चाहे गए सोलर पंप की जानकारी

सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार	हितग्राही (किसान) अंश (हजार में)	डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
1 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल	6856	30 मी. के लिए 45600, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.